भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2604

दिनांक 19.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

तेलंगाना में स्वच्छ पेयजल

2604. श्री सी॰ एम॰ रमेशः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना राज्य में ग्रामीण लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कार्य के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजलएवंस्वच्छता मंत्रालय

(श्रीएस. एस. अहलूवालिया)

(क) और (ख) जी हां। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2018 के अंत तक “मिशन भागीरथ” परियोजना के जरिए राज्य में सभी ग्रामीण बसावटों तक व्यापक (बल्क) जल आपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी हां। इस राज्य में 12 गंभीर मंडल, 74 अर्द्ध-गंभीर मंडल और 46 अति दोहित मंडल हैं। इसके अलावा, 01.04.2017 के अनुसार, 1392 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें भी हैं, जिसमें से, राज्य में 1028 फ्लोराइड प्रभावित, 36 लौह प्रभावित, 183 लवणता प्रभावित और 145 नाइट्रेट प्रभावित बसावटें हैं। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2018 के अंत तक “मिशन भागीरथ” परियोजना के जरिए व्यापक (बल्क) जल आपूर्ति द्वारा इन सभी बसावटों को कवर करने का प्रस्ताव किया है।